# <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा</u>

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | :: | सुयश,आर.जे.एस. |
| नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या | :: | 317 / 2017 |
| सी.आई.एस. संख्या | :: | 432 / 2017 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | :: | 219 / 2016, थाना मुण्डावर |
| सीएनआर संख्या | :: | RJKA120006342017 |

राजस्थान राज्य, जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी ———अभियोगी

**बनाम**

जसराम उर्फ जस्सा पुत्र श्री गणेशाराम निवासी अलीपुर थाना मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा।

———अभियुक्त

**<u>अपराध अन्तर्गत धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950</u>**

**<u>उपस्थिति</u> :–**

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन की ओर से।
2. श्री गंगाराम पटेल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

**<u>–:: निर्णय ::–</u>** **<u>दिनांक : 02.06.2026</u>**

**01.** संक्षेप में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.06.2016 को दौराने गश्त मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान कोटकासिम बासनी रोड अलीपुर तिराहा के पास पहुंचे तो सामने सड़क पर एक शक्स जीप सरकारी की रोशनी में अपने दोनों हाथों में दो प्लास्टिक के कट्टे लेकर आता दिखाई दिया, जो जीप सरकारी व बावर्दी पुलिस को देखकर मौके पर ही दोनों कट्टों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की तरफ झूण्डों व ऊबड़ खाबड़ जगह का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया, जिसको बीट कानि. सुबेसिंह ने जीप की रोशनी में देखकर पहचान लिया, जिसका नाम जस्सा उर्फ जसराम होना बताया।

जिसके कब्जे से मिले कट्टों को खोलकर जीप सरकारी की रोशनी में चैक किया तो एक प्लास्टिक कट्टे में 24 प्लास्टिक बोतलें सीलबंद शराब मार्का रसभरा संतरा मसालेदार देशी शराब for sale in Haryana only प्रत्येक 750 एम.एल. भरी मिली व दूसरे कट्टे में 35 प्लास्टिक अध्धे सीलबंद शराब मार्का रसभरा संतरा मसालेदार देशी शराब for sale in Haryana only प्रत्येक अध्धा 375 एम.एल. भरे मिले।

**02.** वापसी थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट 219/2016 अपराध अंतर्गत धारा 19/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व धारा 19/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध बनना पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 11.04.2017 को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा में प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 11.04.2017 को धारा 19/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

**03.** बहस चार्ज सुनकर दिनांक 11.04.2017 को अभियुक्त को धारा 19/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

**04.** अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहों को पेश किया :–

| गवाह संख्या | गवाह का नाम | गवाह की प्रकृति |
|---|---|---|
| पी.ड. 01 | कृष्ण कुमार | फर्द जप्ती, नक्शामौका, फर्द गिरफ्तारी |
| पी.ड. 02 | बृजमोहन | बयान धारा 161 सीआरपीसी |
| पी.ड. 03 | नरसीराम | फर्द जप्ती, नक्शामौका, फर्द गिरफ्तारी |
| पी.ड. 04 | सुबेसिंह | बयान धारा 161 सीआरपीसी |

**05.** साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित कराने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :–

| क्र.सं. | प्रदर्श संख्या | प्रदर्श |
|---|---|---|
| 01 | प्रदर्श पी 01 | फर्द जप्ती शराब |

| | | |
|---|---|---|
| 02 | प्रदर्श पी 02 | नक्शामौका |
| 03 | प्रदर्श पी 03 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम |

**06.** अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313, दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 20.11.2025 को लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसके द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहान के बयानों को गलत होना एवं उसे झूठा फंसाया जाना बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

**07.** बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अंतिम सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सुदृढ होना बताते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

**08.** उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कहा गया की रात 8 बजे के अंधेरे में पुलिसकर्मियों द्वारा मुलजिम को नहीं पहचाना जा सकता था। यदि थानाधिकारी जप्ती दल के साथ गया होगा तो ऐसे में शेष पुलिसकर्मी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए होंगे एवं पीछे की सीट से वे 100 मीटर गाड़ी के आगे खड़े मुलजिम को नहीं पहचान सकते। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी.ड. 03 द्वारा विरोधाभाषी बयान करना बताया गया। अंत में अभियुक्त की पहचान संदेहास्पद होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

**09.** इस प्रकार न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दू निम्न है :–

*01. ''क्या दिनांक 19.06.2016 को समय करीब 08 पीएम पर मौजा कोटकासिम वासनी रोड अलीपुर तिराहा के पास अभियुक्त के सचेतन कब्जे से बरामद दो कट्टों में से एक कट्टे में 24 प्लास्टिक बोतले रसभरा संतरा मसालेदार देशी शराब for sale in Haryana only प्रत्येक 750 एम.एल. भरी मिली एवं दूसरे कट्टे में 35 प्लास्टिक अध्धे सीलबंद शराब मार्का रसभरा संतरा मसालेदार देशी शराब for sale in Haryana only प्रत्येक अध्धा 375 एम.एल. भरे मिले। उक्त शराब को रखने बावत् अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था?*

*02. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?"*

**10.** उक्त विचारणीय बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली का अध्ययन किया जावे तो अभियोजन की ओर से कुल चार गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं। यह चारों ही गवाह अपराध घटित होने के समय जप्ती दल के सदस्य थे। गवाह पी.ड. 01 एवं पी.ड. 03 मौके से शराब जप्त करने एवं अभियुक्त को तत्समय गिरफ्तार करने के गवाह है। गवाह पी.ड. 02 चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया है एवं पुलिसकर्मी पी.ड. 04 द्वारा घटना के समय अभियुक्त की पहचान जस्सा उर्फ जसराम के रूप में की गई है।

**11.** इन चारों ही गवाहों द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए कथन किया है कि दिनांक 19.06.2016 को वे घटनास्थल पर पहुंचे तो पी.ड. 04 सुबेसिंह द्वारा अभियुक्त की पहचान जस्सा उर्फ जसराम के रूप में की थी। अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा एवं उसके द्वारा छोड़े गये दो प्लास्टिक कट्टों में 24 प्लास्टिक बोतले प्रत्येक 750 एम.एल. देशी शराब एवं 35 प्लास्टिक अध्धे प्रत्येक अध्धा 375 एम.एल. मिले। गवाह पी.ड. 01 एवं पी.ड. 03 द्वारा फर्द जप्ती पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है।

**12.** उक्त गवाहान पी.ड. 01, पी.ड. 02 एवं पी.ड. 04 की जिरह से ऐसा कोई कथन उजागर नहीं होता है, जिससे अभियोजन कहानी पर मुख्य कुठाराघात होता हो। परंतु यदि पी.ड. 03 के बयानों का अध्ययन किया जावे तो इस गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 पर स्वयं के अतिरिक्त बृजमोहन के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि फर्द जप्ती पर बृजमोहन के हस्ताक्षर नहीं होकर पी.ड. 01 कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर मौजूद है। इसी प्रकार एक ओर इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में एक कट्टे से 24 बोतलें बरामद होना बताया है। परंतु जिरह में स्वखंडनात्मक बयान देते हुए 27 बोतल होना बता दिया गया है। इसी प्रकार फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 पर भी स्वयं के अतिरिक्त बृजमोहन के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया गया है, जबकि इस दस्तावेज पर पी.ड. 01 कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर मौजूद है।

**13.** उक्त विरोधाभाषों के अलावा यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण आबकारी अधिनियम से संबंधित है, जिसमें मौके से बरामदशुदा शराब की Chain of custody Intact सिद्ध किया जाना आवश्यक

है। साथ ही जप्तशुदा माल में से लिये गये सैम्पलों का बाद एफ.एस.एल. शराब होना दर्शाया जाना भी अत्यंत प्रासंगिक है।

**14.** इस आलोक में यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अध्ययन किया जावे तो सभी गवाहों ने केवल मात्र यह बयान दिये हैं कि मौके से दोनों कट्टों में से एक–एक सैम्पल लिया गया था। परंतु क्या इन सैम्पलों को सीलशुदा अवस्था में ही जमा मालखाना करवाया गया था, इस संबंध में प्रासंगिक मालखाना रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं करवाया गया है, ना ही प्रासंगिक मालखाना प्रभारी के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं। क्या रासायनिक प्रयोगशाला की जांच हेतु सैम्पलों को सीलशुदा अवस्था में ले जाया गया था, इस संबंध में प्रासंगिक मालवाहक के बयान लेखबद्ध नहीं करवाये गये हैं। साथ ही क्या बाद जांच लिये गये सैम्पलों का शराब होना पाया गया था, इस संबंध में भी किसी प्रकार की रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। उक्त सैम्पल के शराब होने को सिद्ध किये जाने हेतु अनुसंधान अधिकारी के बयान भी लेखबद्ध नहीं किया जा सके हैं। ना ही किसी अन्य गवाह द्वारा इस संबंध में कोई कथन किया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन द्वारा जप्तशुदा सैम्पल की Chain of custody Intact होना सिद्ध किया गया हो एवं यह भी नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा सैम्पलों का शराब होना संदेह से परे प्रमाणित किया गया हो।

**15.** दाण्डिक प्रक्रिया का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है, परंतु उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा कई आवश्यक साक्ष्यों को प्रस्तुत नहीं कर स्वयं के पक्ष को वांछित बल प्रदान नहीं किया है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –:: आदेश ::–

**16.** फलतः अभियुक्त जसराम उर्फ जस्सा पुत्र श्री गणेशाराम निवासी अलीपुर थाना मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54, राजस्थान आबकारी अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**17.** जप्तशुदा माल बाद समाप्ति मियाद नियमानुसार नष्ट किया जावे।

**18.** अभियुक्त द्वारा न्यायालय में धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के जमानत मुचलके के प्रस्तुत किये जा चुके हैं, अतः अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बावत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सुयश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा

**19.** निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुयश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा

**निर्णय में किए गए संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।**
**आशुलिपिक**

**नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्य प्रति न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है**